HRAA SAUSIANA VISIUSIANA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1194] No. 1194] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2009/श्रावण 9, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2009/SRAVANA 9, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2009

का.आ. 1868(अ).—केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 31 जुलाई, 2009 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 36 से 47 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.15025/74/2009-एफ एस एस ए आई] देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2009

S.O. 1868(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 31st day of July, 2009, as the day on which the provisions of Section 36 to 47 of the said Act shall come into force.

[F. No. P. 15025/74/2009-FSSAI] DEBASISH PANDA, Jt. Secy.